

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०,
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक- 21 मई, 2018

विषय:- उ०प्र० चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22) के अन्तर्गत इन्डायरेक्ट निर्यातकों का पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-विप०-2/(चा०नि०प्र०यो०-144)/2018-847 दिनांक-16.01.2018 एवं पत्रांक-विप०-2/(चा०नि०प्र०यो०-144)/2018-898 दिनांक-16.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ०प्र० चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22) के अन्तर्गत इन्डायरेक्ट निर्यातको का पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु वांछित अभिलेखों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय जाप संख्या-70/2017/640/अस्सी-2-2017-2(12)/2000 दिनांक-28.12.2017 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० चावल प्रोत्साहन योजना (2017-22) के प्रस्तर 1(10) के अन्तर्गत इन्डायरेक्ट चावल निर्यातकों के पंजीकरण तथा उक्त योजना के प्रस्तर-1 (6) एवं 4 में उल्लिखित निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु वांछित अभिलेखों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) योजना के बिन्दु संख्या 1(10) में यह उल्लिखित है कि इन्डायरेक्ट चावल निर्यातको का पंजीकरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इसके पूर्व की नीति (2012-17) में इन्डायरेक्ट चावल निर्यातको का पंजीकरण जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की अनुशंसा के उपरान्त शासन स्तर पर किया जाता था। इस प्रक्रिया की जटिलता व लगने वाले समय को देखते हुए नवीन योजना में उपरोक्त प्रक्रिया को सरलीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु इन्डायरेक्ट निर्यातको के सम्बन्ध में भी ईज आफ इङ्ग बिजनेस के अन्तर्गत त्वरित पंजीकरण कराने की दृष्टि से आनलाईन पंजीकरण व्यवस्था अधिक उपादेय है। नई योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त मण्डी शुल्क से छूट के प्रकरणों पर मण्डी समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर असहमति की दशा में चावल निर्माता-निर्यातको निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार लखनऊ को प्रत्यावेदन दे सकते हैं।
- (2) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की वेबसाइट www.upkrishivipran.in पर निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के माध्यम से चावल निर्माता-निर्यातको को आनलाईन पंजीकरण कराना होगा। इस हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा आनलाईन पंजीकरण हेतु पोर्टल तैयार किया जा चुका है। उपरोक्त पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम निर्यातको को अपना मोबाइल नं० ओ०टी०पी० के माध्यम से सत्यापित कराना होगा, तत्पश्चात् वांछित सूचनाएँ यथा मण्डी समिति का नाम, पर्सनल आई०डी०, पैन कार्ड, जी०एस०टी० आदि भरनी होगी जिससे निर्यातको को एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी तथा वह कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के साथ पंजीकृत हो जायेगा। उक्त पंजीकरण इन्डायरेक्ट निर्यातको द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर निर्गत किया जाएगा और यदि पंजीकरण के समय अपलोड कराये गये अभिलेखों में कालान्तर में कोई अपूर्णता अथवा त्रुटि पायी जाती है तो ऐसा पंजीकरण स्वयमेव अमान्य (Automatically Void) हो जाएगा तथा निरस्तीकरण की सूचना सम्बन्धित आवेदको को दे दी जाएगी। ऐसे प्रकरणों में पुनः आनलाईन आवेदन करने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पंजीकरण तभी वैध होगा जब सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन निदेशक, कृषि विपणन द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कर लिया जाए।

(3) चूकि इन्डायरेक्ट निर्यातक को निर्यात के पूर्व मण्डी समिति को बैंक गारंटी तथा निर्यात का विवरण देना होगा तथा निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त उसे मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्राप्त होगी तथा बैंक गारंटी अवमुक्त की जायेगी। अतः फील्ड स्तर पर सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड चावल निर्माता- निर्यातक को पंजीकृत मानते हुए तथा निर्यात दायित्व के अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने पर योजना के अन्तर्गत देय छूट दिया जाना उचित होगा। प्रत्येक माह पंजीकरण किए गये इन्डायरेक्ट निर्यातको का पूर्ण विवरण कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) शासनादेश संख्या-70/2017/640/अस्सी-2-2017-2(12)/2000 दिनांक- 28.12.2017 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना(2017-22) के बिन्दु-1(6) एवं 4 में उल्लिखित निर्यात दायित्व सिद्ध करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख निर्यातक को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने होंगे :-

डायरेक्ट निर्यातक के लिए निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु अभिलेख :-

1- एपीडा एवं एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र (IEC Code) की प्रति।

2- कन्फर्म एक्सपोर्ट आर्डर/ परचेज एग्जीमेंट जिसके साथ लेटर आफ क्रेडिट संलग्न हो, की प्रति।

3- आर्डर के अनुरूप उत्पाद तैयार करने सम्बन्धी स्टाक रजिस्टर के अलग पृष्ठ पर अंकन जिसमें धान क्रय का विवरण (तिथि एवं मात्रा सहित), चावल उत्पादन की तिथि व मात्रा, गेटपास का विवरण मात्रा सहित हो।

4- बिल आफ लेडिंग एवं शिपमेन्ट बिल की प्रति।

5- लेट (LET) एक्सपोर्ट आर्डर की प्रति।

6- एपीडा द्वारा आर0सी0ए0सी0 (Registration-cum-Allocation-Certificate)।

7- भुगतान प्राप्ति का विवरण (Statement of Bank Realisation)।

इन्डायरेक्ट निर्यातक के लिए निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु अभिलेख :-

1- कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय में पंजीकरण संख्या/ प्रमाणपत्र।

2- वास्तविक निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराया गया आदेश जिसके साथ कन्फर्म एक्सपोर्ट आर्डर व लेटर आफ क्रेडिट (LET) की प्रति संलग्न हो।

3- आर्डर के अनुरूप उत्पाद तैयार करने सम्बन्धी स्टाक रजिस्टर के अलग पृष्ठ पर अंकन जिसमें धान क्रय का विवरण (तिथि एवं मात्रा सहित), चावल उत्पादन की तिथि व मात्रा, गेटपास का विवरण मात्रा सहित हो।

4- बिल आफ लेडिंग एवं शिपमेन्ट बिल की प्रति।

5- लेट (LET) एक्सपोर्ट आर्डर की प्रति।

6- मण्डी समिति द्वारा निर्गत मिल/ कारखाना की लाइसेन्स की प्रति।

7- डायरेक्ट निर्यातक द्वारा इन्डायरेक्ट निर्यातक को किये गये भुगतान का साक्ष्य।

प्रत्यक्ष निर्यातको की भांति अप्रत्यक्ष निर्यातकों को भी चावल निर्यात नीति की सम्पूर्ण अवधि के लिए नीति के अनुरूप छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

अमित मोहन प्रसाद

प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2018/142(1)/अस्सी-2-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत करायेंगे।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- कृषि निदेशक, उ०प्र०, कृषि भवन लखनऊ।
- 10- अपर कृषि निदेशक (चावल), उ०प्र०, कृषि भवन लखनऊ।
- 11- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 12- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 13- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 14- आयुक्त, वाणिज्य कर स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 15- समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
- 16- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० निर्यात निगम, कानपुर।
- 17- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
- 18- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ०प्र० को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 19- उद्योग निदेशक, उ०प्र० कानपुर।
- 20- स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
- 21- सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 22- सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 23- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 24- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 25- निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार कक्ष संख्या-11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 26- अध्यक्ष, आल इण्डिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पी०एच०डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पी०एच०डी० हाउस (चतुर्थ तल) फेज-1 एशियन गेम्स काम्पलेक्स के पीछे, नई दिल्ली।
- 27- अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन०सी०यू०आई० बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- 28- अध्यक्ष, यू०पी० रइस मिलर्स एसोसिएशन, हेड आफिस 2/10, कलेक्टरगंज (शक्कर पट्टी) कानपुर।
- 29- निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी, लखनऊ।
- 30- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 31- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।